

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (मावि) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6	7
1.	जगदीश प्रसाद खाती प्रधानाचार्य राउमावि गुडेल उदयपुर	09.11.62	28.09.95	27.09.15 20 वर्ष	28.09.15 द्वितीय	6800/-
2.	संतोष कुमार मेहता प्रधानाचार्य राउमावि महदपुरा धौलपुर	01.10.58	26.02.97	25.02.17 20 वर्ष	26.02.17 द्वितीय	6800/-
3.	उमेश कान्ति प्रधानाचार्य, राआबाउमावि, चौमहला झालावाड	21.12.60	14.07.97	13.07.17 20 वर्ष	14.07.17 द्वितीय	6800/-
4.	राजेश सैनिक प्रधानाचार्य राउमावि मटुन उदयपुर	25.07.69	22.07.96	21.07.16 20 वर्ष	22.07.16 द्वितीय	6800/-
5.	रेखा जोशी प्रधानाचार्य, राआउमावि, गरियता डुंगरपुर	10.07.75	27.07.07	26.07.17 10 वर्ष	27.07.17 प्रथम	5400/-
6.	रामभरोसी शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि, गेंहुखेडी झालावाड	07.05.51	15.11.77	14.11.97 20 वर्ष	01.01.06 द्वितीय	5400/-
7.	देवेन्द्र कुमार जैन प्रधानाचार्य, राउमावि, चौपासांग बांसवाडा	15.05.66	01.07.91	30.06.11 20 वर्ष	01.07.11 द्वितीय	4800/-
8.	निर्मल मेहरा प्रधानाचार्य राबाउमावि गंगधार झालावाड	10.06.63	29.04.97	28.04.17 20 वर्षीय	29.04.17 द्वितीय	2600/-
9.	गोविन्द प्रसाद स्वर्णकार प्रधानाचार्य राउमावि मोरपा सवाई माधोपुर	07.07.64	30.01.97	29.01.17 20 वर्षीय	30.01.17 द्वितीय	6800/-

उक्त प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।



(नथमल डिडेल)


आईएएस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-5-6-8/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/एसीपी/2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
- 2- संबंधित संस्था प्रधान
- 3- संबंधित अधिकारी
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग
- 5- निजि/रक्षित पत्रावली

दिनांक: 1-02-2018

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर